उत्तर प्रदेश सरकार
परती भूमि विकास अनुभाग
संख्या–1939/14 –प0भू0वि0–97–7/93
लखनऊ दिनांक 14 अगस्त, 1997.

–''अधिसूचना''

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा –21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन्, 1976) की धारा 3 के खण्ड (तीन) और (दस) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और समय–समय पर यथा– संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या –72/चौदह –3–377–76, दिनांक 20 जनवरी, 1982 और संख्या– 4448/14–प0भू0वि0 /93–300(31)/93, दिनांक 23 सितम्बर, 1993 का अधिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित सक्षम प्राधिकारियों और पुनरीक्षण प्राधिकारियों को उन कर्तव्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जो उक्त अधिनियम के अधीन क्रमशः उन पर आरोपित या उनको प्रदत्त है, नीचे अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों और वृक्षों के विभिन्न वर्गों के लिए सक्षम प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी नियुक्त करते हैः–

अनुसूची

(क)– ऐसे वृक्षों के लिए जिनका गिराया जाना उपर्युक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिबद्ध हैः

क्र0सं0	क्षेत्र	वृक्षों के वर्ग	सक्षम प्राधिकारी	पुनरीक्षण प्राधिकारी
1.	सम्पूर्ण उ0प्र0	ऐसी प्रजातियों के वृक्षों के वर्ग जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमति से गिराये जा सकते हो	समबद्ध प्रभागीय वन अधिकारी/ प्रभागीय निदेशक।	सम्बद्ध वन संरक्षक/ क्षेत्रीय निदेशक।

ख)– ऐसे वृक्षों के लिए जिनका गिराया जाना उपर्युक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिषिद्ध नहीं हैः–

क्र0 सं0	क्षेत्र	वृक्षों के वर्ग	सक्षम प्राधिकारी	पुनरीक्षण प्राधिकारी
1.	उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियम) अधिनियम, 1985 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन्1985 की धारा 3 के अधीन फल पट्टी के रूप में घोषित क्षेत्रों के लिए।	(क)– फलदार वृक्ष	जिला उद्यान अधिकारी अधीक्षक जहॉ जिला उद्यान अधिकारी द्वारा देखा जा रहा है।	सम्बद्ध वन संरक्षक/ क्षेत्रीय निदेशक।
		(ख)–फलदार वृक्षों से भिन्न वृक्ष	सम्बद्ध प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक।	सम्बद्ध वन संरक्षक/ क्षेत्रीय निदेशक।

2.	राज्य के मैदानी इलाके के फल पट्टी क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्र (जिला सोनभद्र मिर्जापुर, बांदा, झांसी, ललितपुर, गोरखपुर, महरागंज, गोण्डा, बहराइच, लखीमपुरखीरी और पीलीभीत और जिला वाराणसी की तहसील चकिया को छोड़कर) के लिए	(क)– कृष्य और अकृष्य/बंजर जोन ग्राम समाज या अन्य सामुदायिक भूमि पर छुटपुट स्थित वृक्ष,	मुख्य विकास अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट (विकास)	सम्बद्ध जिला मजिस्ट्रेट
		(ख)– बागों, जिला परिषदों की सड़क के किनारे के मार्गों के वृक्ष और अन्य अधिष्ठानों और संरचनाओं पर उगने वाले वृक्षः–		
		(एक)– राज्य के मैदानी इलाके के ऐसे जिलो के क्षेत्र जहाँ उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली, 1978 के नियम–3के परन्तुक के खण्ड (ग) के अधीन कतिपय प्रजातियों के वन उपजों को अभिवहन पास से छूट प्रदान की गई हो वहां किसी एक व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर एक वर्ष मे अधिकतम दो वृक्षों के लिए	सम्बद्ध वन राजि अधिकरी	सम्बद्ध प्रभागीय अधिकारी प्रभागीय निदेशक
		(दो)–उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित से भिन्न मामलों में।	सम्बद्ध प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक।	सम्बद्ध वन संरक्षक/ क्षेत्रीय निदेशक।
3.	जिला सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा झाँसी, ललितपुर, गोरखपुर, महराजगंज, गोण्डा, बहराइच, लखीमपुर–खीरी और पीलीभीत और जिला वाराणसी की तहसील चकिया और राज्य के सभी पर्वतीय जिलों के फलपट्टी क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र के लिए	सभी वर्गों के वृक्ष	सम्बद्ध प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक।	सम्बद्ध वन संरक्षक/ क्षेत्रीय निदेशक।

आज्ञा से ,
पी0सी0 शर्मा
प्रमुख सचिव, वन